

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

पवन कुमार

साहेबराज आदि

दावा बाबत :- 88 RJA Et

मुकदमा नम्बर :- 362/2021

निर्णय दिनांक :- 7-12-2021

वादी की ओर से वकील अनुराग सेहरा की व प्रतिवादी सं0/1/2/3 की


ओर से वकील प्रहल्लाद राव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7-12-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौंदा मौजा बूड के खाता सं. 421/406 के खसरा सं. 230/6 की 3-503 है, खसरा सं. 394/3 की 0-816 है, खसरा सं. 549/4 की 1-429 है कुल 5-748 है बाराणा हबिग्राम प्रतिवादी सं. 1 साहेबराज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है कि इनके प्रतिवादी सं. साहेबराज के बजाए वादी पवन कुमार प्रतिवादी सं. साहेबराज, प्रतिवादी सं. 2 बलवान का, बहिसा करार के खातदार काइलाश चौधरी नामित किए जाते हैं कि प्रतिवादी सं. 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर ग्राम कर लिया है इस लिए त्याग किने गये हिस्से पर हम पूजापूजा मुक्त बंधु बंधन व यदि हबिग्राम बंधन रहने दी ता रहनुक हीन के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदाराने किया जावे राजपत्रों को डिप्टी का काटा पठा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
(प्रशासन प्रशासक)
भादरा जिला हुमानगढ़
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
जे.प.